


मध्यप्रदेश शासन
जल संसाधन विभाग
मंत्रालय

:: आदेश ::

भोपाल, दिनांक 16 दिसंबर, 2016

क्रमांक एफ 22-116 /2016/पी-1/इकतीस :: राज्य शासन द्वारा वित्त विभाग के परिपत्र दिनांक 24.1.2008 एवं सहपठित परिपत्र दिनांक 14.2.2008 तथा दिनांक 13.11.2009 में निहित निर्देशों के अनुक्रम में विभागीय समिति की अनुशंसा के आधार पर श्री लक्ष्मी नारायण अग्रवाल, सेवानिवृत्त अधीक्षण यंत्री को 16 वर्ष की सेवा पूर्ण करने पर दिनांक 01.04.2006 से द्वितीय उच्चतर समयमान वेतनमान रु. 15600-39100+ग्रेड पे 7600 की स्वीकृति प्रदान करता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार


(आर.पी.एस.जादोन)
उप सचिव


म.प्र.शासन, जल संसाधन विभाग

पृ0क्रमांक एफ 22-116 /2016/पी-1/इकतीस(01)
प्रतिलिपि :-

भोपाल, दिनांक 16 दिसंबर, 2016

1. महालेखाकार, म.प्र., लेखा एवं हकदारी, भोपाल/ग्वालियर।
2. विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी, मान.मंत्रीजी, जल संसाधन विभाग,भोपाल।
3. निज सहायक, मान.मंत्रीजी, जल संसाधन विभाग, भोपाल।
4. प्रमुख अभियंता, म.प्र., जल संसाधन, भोपाल की ओर पालनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
5. संबंधित कोषालय अधिकारी
6. श्री लक्ष्मी नारायण अग्रवाल, सेवानिवृत्त अधीक्षण यंत्री (द्वारा प्रमुख अभियंता, जल संसाधन विभाग)
7. ✓ वेब मैनेजर, कार्यालय परियोजना संचालक, विश्व बैंक परियोजनाएं, भोपाल की ओर विभाग की वेबसाइट पर प्रविष्टि हेतु।
8. स्टाक पंजी

की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित है।


उप सचिव

म.प्र.शासन, जल संसाधन विभाग

16